कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

क्रमॉक / 333 / सां0लि0 / 2020 — दुर्ग, दिनॉक 29 मार्च ,2020

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अंकित आनंद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग, COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमॉक 2913 / प्र0जि0म0 / 2020 दुर्ग, दिनॉक 23.3.2020 व्दारा प्रभावशील की गयी लॉक डाउन की अवधि में निम्नानुसार आदेशित करता हूँ :–

1. फैक्ट्री, वाणिज्यिक संस्थान, दुकानों इत्यादि व्दारा नियोजित किये गये अकुशल, अर्ध्द कुशल एवं कुशल श्रमिकों को निर्धारित नियत तिथि में बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक / मानदेय / वेतन का भुगतान तत्परता से नियोक्ता व्दारा किया जावेगा ।

2. यदि कोई श्रमिक (जिले के बाहर से आकर रह रहे श्रमिकों सहित) किराये के मकान में निवासरत् है, तो मकान मालिक व्दारा न ही उस व्यक्ति को बेदखल करने की कार्यवाही की जावेगी और न ही लॉक डाउन की अवधि में उसे इस अवधि के दौरान किराया भुगतान हेतु विवश किया जायेगा ।

उक्त आदेश का उल्लंघन दण्डनीय कृत्य होगा एवं आई.पी.सी. की धारा–188 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्यवाही की जा सकेगी ।

(अंकित आनंद)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

पृ0क्रमॉक / 334 / सां0लि0 / 2020 — दुर्ग, दिनॉक 29 मार्च ,2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग
5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर,दुर्ग
6. सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग
7. मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग / भिलाई / भिलाई चरोदा / रिसाली,
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग / धमधा / पाटन,
10. सर्व उप पुलिस अधीक्षक / नगर पुलिस अधीक्षक, जिला–दुर्ग
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग / धमधा / पाटन
12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जिला–दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. उप संचालक, जन सम्पर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट दुर्ग (छ.ग.)